अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4150/24 आवेदन सं0 5151/24

चूँकि श्री Nirmala Devi

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 19 2004 से ता० 7/11 dated तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अत:

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mount - Jammu Thanna - 30 Katra - 75 Plot - 2112 Area - 15 Kan							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम) CA&C

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Dsnagar

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखायें गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Dsnagar

ज्ञाप संख्या 4585 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Nirmala Devi

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Manager UCPAL Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Dsnagar

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फार्म सं॰ 113

संपत्ति अवधार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 5149/24

चूंकि श्री Mshanta Prasad and Vijay Roy आवेदन सं॰ 5150/24

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकाओं में ता॰ 10.06.24 से ता॰ 18.11.24 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के दौरान निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला

चला है अतः Bigha Jarib

क्र॰ सं॰	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के पृ॰ निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamsaut Thana - 30 Tauzi - 5171 Khata - 39 Plot - 2111 Area - 15.675 decm							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CA to

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Dsmdpr

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किंतु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Dsmdpr

ज्ञाप संख्या 4584 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री M/S Shrachi Projects Pvt Ltd and Others

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Loan Manager Uttam Datta

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
Dsmdpr
16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4148/4 आवेदन सं0 5149/4

चूँकि श्री [illegible] Kumar

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बोधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० [illegible] 2004 से ता० [illegible] तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला [illegible] चला है अत: [illegible]

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamshut Thana - 30 Tauzi. - 5171 Chatano - 75 Plotno - 2119 Area - 13 dhur 15 dhurki							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वर्शर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

द्वारा संख्या 4582 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री [illegible] Kumar

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा [illegible] Manager Uco Bank Patna

का उनके पत्र संख्या [illegible] दिनांक [illegible] के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4147/24 आवेदन सं0 5148/24

चूँकि श्री Ashok Kumar

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 1982004 से ता० 21/11/2024 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अत: अशोक कुमार

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamsaut Khasra - 30 Khata no. - 75 Plot no. - 2112 Area - 15 dhn							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CDEO

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CDE

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

सब रजिस्ट्रार कार्यालय दानापुर, पटना

16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो ता वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4582 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Ashok Kumar

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Axis Bank Manager Uttam Patty

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 4146/21 आवेदन सं0 5147/14

चूँकि श्री Govind Kumar

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में विवक्षित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1[illegible]2004 से ता० 7/1/2021 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अत: Stamp Duty

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	District - Jamshedpur Thana - 30 Town - 5171 Khata - 19 Plot - 210& Area - 3.1 Yr decmal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CASE

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): DE

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/24

सब रजिस्ट्रार कार्यालय दानापुर, पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/24

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमान-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4582 दिनांक 16/9/24

आवेदक श्री Govind Kumar

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Axis Manager UTI HDL Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

11/9/24

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं॰ 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4145/21 आवेदन सं0 5146/21

चूँकि श्री Jagtmand Singh alias Jagat Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता॰ 2004 से ता॰ till dated तक तलाशी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है अत: अमान्य घोषित

क्र॰ सं॰	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र॰ निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Jamsaut Thana - 30 Tauzi - 5171 Chitno - 73 Plot no - 2117 Area - 9 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CASE

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/24



16/9/24

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति सांपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (वहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

द्वारा संख्या 4581 दिनांक 16/9/24

आवेदक श्री Jagtapal Singh and Jagjit Singh

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Manager Uttara Bank

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

16/9/24

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 414421 आवेदन सं0 574574

चूँकि श्री Arvind Kumar Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 19 2004 से ता० 7/1 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अतः कुछ नहीं पाया गया

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza – Jamshut Thana no. – 30 Tauji no. – 5171 Khata no. – 59 Plot no. – 220 Area. 10 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Deoghar

तारीख: 16/9/24

सब निबंधन कार्यालय देवीपुर, पटना

16/9/24

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. **निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।**

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Deoghar

ज्ञाप संख्या 4500 दिनांक 16/9/24

आवेदक श्री Arvind Kumar Singh

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Manager Uttara Bank

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Deoghar

16/9/24

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4143/24 आवेदन सं0 5144/24

चूँकि श्री Prithavi Nand Vishwakarma and Nand Kishore Vishwakarma

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 1 2004 से ता० 11.10.24 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अत: अमान्य घोषित

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Jamgaon Tehsil - Sirsi Khasra - 73 Plot - 2117 Area - 10.833 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Dsrpur

तारीख: 16/9/24

सब रजिस्ट्रार कार्यालय धनापुर, पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/24

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. **निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।**

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Dsrpur

ज्ञाप संख्या 4578 दिनांक 16/9/24

आवेदक श्री Brijnandan Singh Vishwakarma and Other

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Axis Bank Manager Gandhi Path

का उनके पत्र संख्या ... दिनांक ... के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
Dsrpur
16/9/24

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 41421/21 आवेदन सं० 5143/21

चूँकि श्री Naresh Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1.4.2004 से ता० 11/01/2021 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है अतः Bhaar Nahi

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamsaut Thana no. - 30 Khata no. - 5171 Khata no. - 85 Plot no. - 218 Area - 14 dhur							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

सब रजिस्ट्रार कार्यालय दानापुर, पटना

16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखायें गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4578 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Nirmal Singh

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Shri Manager UCHHL Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4141/24 आवेदन सं0 5142/24

चूँकि श्री Shiv Beesal Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 1994. से ता० तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला चला है अत:

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamsaut Khasra - 30 Gasara - 5171 Kattha - 85 Plot - 218 Area - 1.875 decmal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CHO

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Dmaph

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Dmaph

ज्ञाप संख्या 4577 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Shiv Pratap Singh

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Jas Manager UCHL Patna

का उनके पत्र संख्या 0 दिनांक 0 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Dmaph

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4140/21 आवेदन सं0 5411/4

चूँकि श्री Smt. Sanju Kumari

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 1900 4 से ता० 31 March तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अतः अभार अतई)

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza – Jamsaut Thana – 30 Khatano – 10 Plot – 2130 Area. 6.166 decmal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहा
और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): DE

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधक पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखायें गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो ता वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4576

आवेदक श्री/श्रीमती Sanju Kumari दिनांक 16/9/14

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Axis Mayfair Home Pvt.

का उनके पत्र संख्या P दिनांक f के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
Danapur
16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4139/21 आवेदन सं0 5/40/4

चूँकि श्री Smt Lahmuni Devi alias Lahmani Devi

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2004 से ता० till date तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अतः Annexure attached

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamsoul Khasra - 30 Jaunia - 5171 Khata - 73 Plot no - 2117 Area. 7.833 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): LDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/24

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/24

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. **निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।**

(क) **किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।**

(ख) **और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।**

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

45775

द्वारा संख्या दिनांक 16/9/24

आवेदक श्री Prof. Lalmuni Dev alias Lalmuni Dev

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Age manager Uttam Parku

का उनकी पत्र संख्या / दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

16/9/24

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4138/24 आवेदन सं० 5139/24

चूँकि श्री Birendra Singh, Mahesh Singh, Ginje Beseal Singh, Sheetalmani Devi

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बोधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 1920 04 से ता० 25/1 dated तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अत: अमान्य घोषित

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamsaut Thana - 30 Khata - 115 Plot - 2132 Area - 78.75 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CLRK

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): LDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो ता वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4574 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Birendra Singh and other

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Jeet Manager Uttam Patna

का उनके पत्र संख्या ✓ दिनांक ✓ के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
Danapur
16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 415274

चूँकि श्री Sanjay Kumar Pandit आवेदन सं० 5153/24

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 1.8.2024 से ता० 7.11.2024 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला चला है अत:

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10526 - Jamabandi Thana no. - 30 Khata no. - 75 Khasra no. - 5171 Plot no - 2112 Area - 11 dhur							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। शर्तें की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CAC

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Dsmph

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (वहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Dsmph

ज्ञाप संख्या 4587 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Sanjay Kumar Poddar

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Mr. Manju Kumar Das

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Dsmph

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4153/21 आवेदन सं0 5154/21

चूँकि श्री Rajni Kumari

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 19.04 से ता० 7/11/2021 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अतः अमान्य घोषित

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza – Jamsaut Khasra – 30 Area – 5171 Chak no. – 11 Plot no – 216 Tree – 2 Acre 4 dhur 16 dhur							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखायें गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. **निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी।** विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) **और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को** सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक

ज्ञाप संख्या 4586 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21-फार्म सं. 113

संपत्ति अंतरण प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 4154/24 आवेदन सं. 5155/24

पुत्र/पुत्री श्री Subhash Bera

ने इस बात का आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अंतरणों का प्रतिवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है।)

इसलिये मैं हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अंतरणों से जो भी सही में और सच्चाई से संबंधित आवश्यक पंजियों में है। Book no. 1511 Deed no. 5155 Year 2024 तक सत्यापी की गयी और ऐसी सत्यापी के बाद निम्न संव्यवहारों और अंतरणों का पता चला है कि:- 2 Bigha 5 Katha

क्रम सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और सूचना	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के पृ० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Jamsaul Thana - 30 Tauzi - 8 Khata - 10 Plot - 2130 Area - 5.1875 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

सब निबंधन कार्यालय दानापुर, पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4589 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Subhash Prasad

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Mrs. Manager Uchit Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 1151/21 आवेदन सं० 5132/04

चूँकि श्री Chandan Kumar

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में विवक्षित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2004 से ता० दी गई तारीख तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अतः अधिनियम के

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा– Jamsaut खेसरा– 30 रकबा– 5.71 केवला– 75 प्लाट– 219 नीरू– 10 dhur							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CDO

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

सब निबंधन कार्यालय दानापुर, पटना

16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4586 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Chandan Kumar का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Mr. Manager Uco Bank Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
Danapur
16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

संपत्ति अवधारण प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या 8/2021 दिनांक 12/2/21

मैं श्री Lalden Singh, Patel Nagar Purana and Tehsil Sahib Dewi

को दी गई शक्ति आदेश दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संख्याओं और अक्षरों का अंकित प्रमाण पत्र दिया जाये (अर्जक के लिये एवं नियम के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाली संख्याओं और अक्षरों की जाँच मैंने की है और उसकी सत्यता अनुलग्नकों में है।

एक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्याओं और अक्षरों का पता चला

पता है अतः Atomic Metal

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निर्माण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के पृ० निर्देश		
				निर्माता	धारीदार	निवास	वर्ष	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouse	Permanent						
	Thomas	30						
	Iguana	5121						
	Rhetan	75						
	Plota	2112						
	Floor	2 kotha sakhi						

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर)

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

दिनांक: 16/9/14

सब रजिस्ट्रार पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (वहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4568 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Lal dev Singh, Smt. Neetu Kumari and Others

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Mr. Nandan Upadhyay, Advocate Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4181/24 आवेदन सं० 5132/24

चूँकि श्री Arun Kumar Sharma, Sh Raj Kapur and Hari Ram ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाली संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 2004 से ता० till date तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अत: Annexure

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza – Jamgaon Khasra. – 30 Rakba. – 5171 Khata no. – 85 Plot no – 2118 Area – 1 kotha 14 dhur							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। शर्तें की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CA

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Abail

(पदनाम): DE

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/24

सहायक निबंधन कार्यालय दानापुर, पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/24

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ह्राप संख्या 4567 दिनांक 16/9/24

आवेदक श्री Arun Kumar Sharma and others

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Bee Manager Uchit Patel

का उनके पत्र संख्या 0 दिनांक 0 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
Danapur
16/9/24

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवधार प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या 4133/21

चूँकि श्री Bikram Singh आवेदन सं० 5134/21

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में विलंबित संव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० से ता० Till date तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला..... चला है अत: अंकित अनुसार

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamsaut Thana - 30 Jeuan - 5171 Khata - 85 Plotno - 2118 Area - 7 Kotha							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो ता वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4569 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Bikram Singh

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Asst. Manager Central Path

का उनके पत्र संख्या 7 दिनांक [illegible] के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
Danapur
16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं॰ 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4134/21 आवेदन सं0 5135/21

चूंकि श्री Vikash Ranjan Prasad

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जावे। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता॰ 2004 से ता॰ Till date तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला चला है अत: अप्राप्त मुक्तलेख

क्र॰ सं॰	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र॰ निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza – Jamsaut Thana – 30 Touzi – 5171 Khata – 10 Plot – 2130 Area – 4 Kotha 6 dhurs dhur							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): LDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (वहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4579 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Vikash Ranjan Prasad

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Axis Manager Lohia Path

का उनके पत्र संख्या ✓ दिनांक ✓ के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4135/24 आवेदन सं० 5134/24

चूँकि श्री Manoj Kumar and Smt. Priyanka Devi

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 1[illegible]2004 से ता० [illegible] तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला..... चला है अत: अमान मुक्तहे

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Jamsaut Khasra - 30 Khatan - 75 Plot - 2112 Tauzi - 5171 Area - 13 dhur							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति का प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): DO

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

सब रजिस्ट्रार कार्यालय, दानापुर, पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4571 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Manoj Kumar and Others.

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Bijee Manager Uttar Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी
Danapur
16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4136/21 आवेदन सं0 5137/14

चूँकि श्री Smt. Shakuntla Devi

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुलग्नियों में ता० 1994 से ता० till dated तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला चला है अत: As per Annexure

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza – Jamsaut Thana – 30 Khata – 10 Plot – 2130 Area – 6.166 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CDO

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): DE

कार्यालय: Danapur

दिनांक: 16/9/14

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4572 दिनांक 16/9/14

आवेदक श्री Smt. Shpumita Dev

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Asst. Manager LIC HFC Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

16/9/14

SPL-469/99-2,00,000

अनुसूची 21–फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4137/24 आवेदन सं0 5138/24

चूँकि श्री Bengali Ray and Banasri Ray

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियो में ता० 1/2024 से ता० [illegible] तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला। चला है अत: अनाए गुवाहे

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Jamshat Khasra - 30 Jsuvey - 5171 Khatian - 20 Plot no - 2110 Area - 18.5 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): C.A.O

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): CO

कार्यालय: Danapur

तारीख: 16/9/14

सब रजिस्ट्रार कार्यालय दानापुर, पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 16/9/14

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. **निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस** का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4573 **दिनांक** 16/9/14

आवेदक श्री Bangali Ray and Banasri Ray

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा C.A.O Danapur (Patna) Bihar

का उनके पत्र संख्या **दिनांक** **के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।**

निबंधन पदाधिकारी
Danapur
16/9/14

SPL-469/99-2,00,000